

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA

दिल्ली राजपत्र
Delhi Gazette

सत्यमेव जयते

एस.जी.-डी.एल.-अ.-31072021-228661
SG-DL-E-31072021-228661असाधारण
EXTRAORDINARY
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 209]	दिल्ली, शुक्रवार, जुलाई 30, 2021/श्रावण 8, 1943	[रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 107
No. 209]	DELHI, FRIDAY, JULY 30, 2021/SHRAVANA 8, 1943	[N. C. T. D. No. 107

भाग IV
PART IVराष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

दिल्ली विधान सभा सचिवालय

अधिसूचना

दिल्ली, 30 जुलाई, 2021

फा.सं. 21/7/बीएण्डबी/एलएस-VII/एलईजी/377.-निम्नलिखित को सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है:-

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली (अतुल्य भारत) भोजन तथा शयन कक्ष संस्थापन
(पंजीकरण एवं विनियम) (संशोधन) विधेयक, 2021

[2021 का विधेयक संख्या 04]

(जैसाकि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधान सभा में दिनांक 30 जुलाई, 2021 को पुरःस्थापित किया गया)

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली (अतुल्य भारत) भोजन तथा शयन कक्ष संस्थापन (पंजीकरण एवं विनियम) अधिनियम, 2007 में संशोधन के लिये

एक**विधेयक**

भारत गणराज्य के बहत्तरवें वर्ष में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधानसभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :-

1. **संक्षिप्त शीर्षक एवंप्रारंभ**—(1) इस अधिनियम को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली (अतुल्य भारत) भोजन तथा शयनकक्ष संस्थापन (पंजीकरण एवं विनियम) (संशोधन) अधिनियम, 2021 कहा जायेगा।
- (2) यह संपूर्ण राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में विस्तारित होगा।
- (3) यह उस तिथि से प्रवृत्त होगा जो सरकार, शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करेगी।
2. **धारा 3 में संशोधन**—राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली (अतुल्य भारत) भोजन तथा शयन कक्ष संस्थापन (पंजीकरण एवं विनियम) अधिनियम, 2007 में धारा 3 की उपधारा (10) में “तीन माह” शब्दों के स्थान पर “एक माह” शब्दों को प्रतिस्थापित किया जायेगा।

उद्देश्य और कारणों का विवरण

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली (अतुल्य भारत) भोजन तथा शयन कक्ष संस्थापन (पंजीकरण और विनियमन) (संशोधन) अधिनियम, 2007 दिसंबर, 2007 में अधिनियमित किया गया था और इसका कार्यान्वयन जनवरी, 2008 से शुरू किया गया था।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली (अतुल्य भारत) भोजन तथा शयन कक्ष संस्थापन (पंजीकरण और विनियमन) अधिनियम, 2007 के अध्याय- II (बेड और नाश्ता प्रतिष्ठानों का पंजीकरण और वर्गीकरण) की धारा 3 की उप-धारा (10) में, पंजीकरण प्रदान करनेकी समस्तप्रक्रिया को पूर्ण करने के लिए समयसीमा का निम्नानुसार उल्लेख किया गया है:

परिसर को पंजीकरण प्रदान करने की समस्त प्रक्रिया आवेदन प्राप्त होने की तारीख से तीन महीने की अवधि के भीतर पूरी की जाएगी और आवेदक को परिणाम के बारे में सूचित किया जाएगा।"

अब, सरकार का उद्देश्य जनता को यथासंभव कुशलतापूर्वक और शीघ्रता से सेवा प्रदान करना है। ऐसा होने पर, सेवा प्रदान करने के लिए अधिनियम में उल्लिखित समय-सीमा की समीक्षा करने के बाद, यह अनुभवकिया गया कि यह सीमा अत्यधिक है। तदनुसार, आवेदकों को ईजी ऑफ़ डूइंग बिजनेस प्रदान करने के वर्तमान प्रस्ताव में समय सीमा को 90 दिन से घटाकर 30 दिन करने के लिए प्रस्तावित किया गया है। विभाग की ओर से इस योजना के तहत शीघ्र वितरण से अधिकाधिक आवेदक आकर्षित होंगे, जो अंततः दिल्ली में पर्यटन को बढ़ावा देने में योगदान देगा।

यह विधेयक उपरोक्त उद्देश्यों की प्राप्ति करता है।

नई दिल्ली

दिनांक :

मनीष सिसोदिया

उप मुख्यमंत्री/पर्यटन मंत्री

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार

वित्तीय ज्ञापन

प्रस्तावित राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली (अतुल्य भारत) भोजन तथा शयन कक्ष संस्थापन(पंजीकरण और विनियमन) (संशोधन) विधेयक 2021 में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली कीसमेकित निधि से कोई वित्तीय निहितार्थ शामिल नहीं है।

(मनीष सिसोदिया)

उप मुख्यमंत्री/पर्यटन मंत्री

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार

प्रत्यायोजित विधान से संबंधित ज्ञापन

प्रस्तावित राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली (अतुल्य भारत) भोजन तथा शयन कक्ष संस्थापन (पंजीकरण और विनियमन) (संशोधन) विधेयक, 2021 किन्हीं अधीनस्थ पदाधिकारियों को विधान की अतिरिक्त शक्ति प्रदान नहीं करता है।

(मनीष सिसोदिया)

उप मुख्यमंत्री/पर्यटन मंत्री

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार

राज कुमार, सचिव

DELHI LEGISLATIVE ASSEMBLY SECRETARIAT**NOTIFICATION**

Delhi, the 30th July, 2021

F. No. 21/7/B&B/2021/LAS-VII/Leg./377.—The following is published for general information:—

THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI (INCREDIBLE INDIA) BED & BREAKFAST ESTABLISHMENT (REGISTRATION & REGULATION) (AMENDMENT) BILL 2021

[Bill No 04 of 2021]

(As introduced in the Legislative Assembly of the National Capital Territory of Delhi on 30 July, 2021)

A

BILL

to amend the National Capital Territory of Delhi (Incredible India) Bed and Breakfast Establishments (Registration and Regulation) Act, 2007.

Be it enacted by the Legislative Assembly of the National Capital Territory of Delhi in the Seventy Second Year of the Republic of India as follows:

- 1. Short title and commencement:** (1) This Act may be called the National Capital Territory of Delhi (Incredible India) Bed and Breakfast Establishments (Registration and Regulation) (Amendment) Act, 2021.
(2) It extends to the whole of the National Capital Territory of Delhi.

(3) It shall come into force on such date as the Government may, by notification in the official Gazette, appoint.

- 2. Amendment in section 3:** In the National Capital Territory of Delhi (Incredible India) Bed and Breakfast Establishments (Registration and Regulation) Act, 2007, in section 3, in sub-section (10) for the words “three months”, the words “one month” shall be substituted.

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

The National Capital Territory of Delhi (Incredible India) Bed and Breakfast Establishments (Registration and Regulation) (Amendment) Act, 2007 was enacted in December, 2007 and its implementation was started with effect from January, 2008.

In sub-section (10) of Section 3 of Chapter-II (Registration and Classification of Bed & Breakfast Establishments) of the National Capital Territory of Delhi (Incredible India) Bed and Breakfast Establishments (Registration and Regulation) Act, 2007, the timeline for completing the entire process of grant of Registration has been mentioned which is as under:

“The entire process of grant of registration of a premises shall be completed within a period of three months from date of receipt of application and the applicant shall be informed about the result.”

Now, the objective of the Government is to deliver the service to the public as efficiently and as expeditiously as possible. This being so, after reviewing the timeline mentioned in the Act for delivery of the service, it was felt that the same is on a higher side. Accordingly, the present proposal for reducing the timeline from 90 days to 30 days has been proposed with the objective to provide Ease of Doing Business to the applicants. The fast delivery on the part of Department will attract more and more applicants under this Scheme which would ultimately contribute to the promotion of Tourism in Delhi.

This Bill seeks to achieve the aforesaid objectives.

Hence the Bill.

New Delhi

Dated:

(MANISH SISODIA)

Deputy Chief Minister / Minister of Tourism

Govt. of NCT of Delhi

FINANCIAL MEMORANDUM

The proposed National Capital Territory of Delhi (Incredible India) Bed and Breakfast Establishments (Registration and Regulation) (Amendment) Bill, 2021 does not involve any financial implications from the Consolidation Fund of the National Capital Territory of Delhi.

(MANISH SISODIA)

Deputy Chief Minister / Minister of Tourism

Govt. of NCT of Delhi

MEMORANDUM REGARDING DELEGATED LEGISLATION

The proposed National Capital Territory of Delhi (Incredible India) Bed and Breakfast Establishments (Registration and Regulation) (Amendment) Bill, 2021 does not seek to confer any power of legislation on any subordinate functionaries.

(MANISH SISODIA)

Deputy Chief Minister / Minister of Tourism

Govt. of NCT of Delhi

RAJ KUMAR, Secy.